

शरीष चंदर मुरमू नयुक्त हुए RBI के डपिटी गवर्नर

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने शरीष चंदर मुरमू को [भारतीय रजिस्त्र बैंक \(RBI\)](#) के नए डपिटी गवर्नर के रूप में नयुक्त किया है, जो 9 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। वे एम. राजेश्वर राव का स्थान लेंगे।



प्रमुख बटु

- **परचिय:** शरीष चंदर मुरमू, जो वर्तमान में RBI में कार्यकारी नदिशक के रूप में कार्यरत हैं, को तीन वर्षों की अवधि के लिये इस पद पर नयुक्त किया गया है।
 - वे वर्ष 1991 में RBI में शामिल हुए और क्षेत्रीय नदिशक जैसे महत्त्वपूर्ण पदों के साथ-साथ बैंकिंग वनियमन, मुद्रा प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर भी कार्य कर चुके हैं।
- **कार्य:** अपने नए पद पर वे बैंकिंग वनियमन, वित्तीय बाजार और [मौद्रिक नीति](#) सहित प्रमुख दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- **नयुक्ति:** उनकी नयुक्ति को कैबिनेट की नयुक्ति समिति (ACC) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
 - कैबिनेट की नयुक्ति समिति (ACC), जिसकी अध्यक्षता [प्रधानमंत्री](#) करते हैं और जिसमें गृह मंत्री सदस्य होते हैं, वरिष्ठ सरकारी नयुक्तियों करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **संरचना:** [RBI अधिनियम, 1934](#) के अनुसार, केंद्रीय बैंक में चार डपिटी गवर्नर होने आवश्यक हैं: दो RBI के भीतर से, एक वाणज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से, और एक अर्थशास्त्री जो मौद्रिक नीति विभाग का नेतृत्व करेगा।
 - वर्तमान डपिटी गवर्नर में शरीष चंदर मुरमू के अलावा टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे. और पूनम गुप्ता शामिल हैं।

